(60)

पत्रांक–8 बी0 / भू0अ0नि0 (मु0स0)–84 / 2016.....66/.....(8) / रा०

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

रमाशंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 17-12-19

विषय :– भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ होने के पश्चात् उक्त भूमि के क्रय–विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) की धारा–11(4) में निम्नवत् प्रावधान है :–

"कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।"

उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में भूमि का अत्यधिक क्रय–विक्रय की सूचना प्राप्त हो रही है, इस संदर्भ में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उक्त तथ्य को अंकित किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि RFCTLARR Act, 2013 के अधीन धारा–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से अर्जनाधीन भूमि के क्रय–विक्रय पर प्रतिबंध लगाने तथा अर्जनाधीन भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर अधिसूचना Denotify करने अथवा Process के Lapse होने पर क्रय–विक्रय पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय, जिसमें अपर समाहर्त्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक सदस्य होंगे। यह समिति RFCTLARR Act, 2013 की धारा–11 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व उपर्युक्त विषयों पर उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

विश्वासभाजन,

17.12.19

(रमाशंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Sec-8\Draft 8 Sweta.docx